

* - विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन ।

विद्यालय अनुदान School Grant Saturday 2 May 2020

'सर्वशिक्षा आभियान' के अन्तर्गत 'प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों' को दिए जाने वाला 'मुख्य अनुदान' 'विद्यालय अनुदान' या 'विद्यालय विकास अनुदान' है।

प्राथमिक विद्यालयों को प्रतिवर्ष → 5000000 अनुदान

उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रतिवर्ष → 7000000 अनुदान

इस अनुदान का उपयोग 'विद्यालय कल्याण समिति' 'विद्यालय प्रबन्ध समिति' के द्वारा किया जाता है।

विद्यालयों को दी जाने वाली राशि


- समस्त परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय [ग्रामीण/कामी] क्षेत्र
- शासकीय सहायता प्राप्त एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय ।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय जो शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अभिन्न अंग हैं।
- अनुदानित मदरसे ।
- अनुदान देने वाली अधिकारी एन.सी अनुदान राशि के व्यय की प्रक्रिया भी निर्देशित करती है।

शुद्ध उपयोगी कार्यों के लिए अनुदान

- ⇒ विद्यालय अवन के निर्माण, मरम्मत एवं सामान खरीदने के लिए अनुदान।
- ⇒ शिक्षण आधिगम सामग्री [T.L.M.] एवं शिक्षण आधिगम उपकरण (A.L.E.) हेतु अनुदान।
- ⇒ विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत के लिए।
- ⇒ बच्चों के बैठने हेतु फर्नीचर, दूरी एवं चमई आदि की व्यवस्था।
- ⇒ आवश्यक स्टेशनरी क्रय करने के लिए।
- ⇒ पुस्तकालय हेतु आवश्यक वस्तुओं का क्रय करने के लिए।
- ⇒ विद्यालय सौन्दर्यीकरण हेतु गमलों/फूलों के पौधों की व्यवस्था करने के लिए।
- ⇒ प्रधानाध्यापक कक्ष को सुसज्जित करने के लिए।

'शिक्षक अनुदान' / टी.एल.एम (Teacher Grants T.L.M.)

'निःशुल्क एवं बाल शिक्षा आधिकार आधिगम' के अन्तर्गत बच्चों के आधिगम के लिए स्तरीय विद्यालयी वातावरण एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की दृष्टि से बच्चों एवं शिक्षकों की सृजनशीलता को उभारने तथा 'कक्षा शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी' बनाने की दृष्टि से शिक्षण आधिगम सामग्री हेतु शिक्षक अनुदान (टी.एल.एम) का प्रबन्धन किया गया है।



कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों को दिया जाता है।

प्राप्त राशि का प्रयोग → विद्यालय परिसर व दीवारों पर टी.एल.एम. राशि से चिगांकन अथवा लेखन।

Learning by Doing में T.L.M. का अधिकाधिक उपयोग करके बच्चों में इस प्रवृत्ति को बढ़ाया जाता है।